

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,
आदेश

भोपाल, दिनांक 09/09/2019

फा.क्रं-4783/21-ब(दो)/2019, राज्य शासन, एतद् द्वारा, महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश के परामर्श पर श्री प्रतीक मेहता, अधिवक्ता को म.प्र. उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर में राज्य सरकार के प्रकरणों में आवश्यकता उत्पन्न होने पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने और पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्ता नियुक्त करता है।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(संतोष प्रसाद शुक्ल)

अतिरिक्त सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 09/09/2019

पृ. क्र. 4783/21-ब(दो)

प्रतिलिपि :

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर,
2. निज सचिव, माननीय विधि मंत्रीजी की ओर सूचनार्थ,
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी / टी.एम. प्रथम, म.प्र. ग्वालियर,
4. महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर / इंदौर / ग्वालियर,
5. श्री प्रतीक मेहता, 26, रावजी बाजार, बड़ा रेवला, जूनी इंदौर,
6. अवर सचिव महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर की ओर इस उल्लेख के साथ कि पैनल अधिवक्ताओं को शुल्क का भुगतान विधि विभाग के आदेश क्र. 17(ई)258/2013/21-ब(दो) दिनांक 11.07.13 के अनुसार किया जावे,
7. आपराधिक शाखा, सिविल शाखा, याचिका शाखा, बजट शाखा, स्थापना शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
8. आई.टी. प्रकोष्ठ, विधि विभाग, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(संतोष प्रसाद शुक्ल)

अतिरिक्त सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग